राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1769/2025

विक्रम सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय, साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.01.2025
आदेश की दिनांक : 07.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कुलदीप सिंह पूनिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक निदेशक के पद पर निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 22.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन किया गया है। उक्त आलोच्य आदेश में अपीलार्थी को एपीओ मानते हुये पदस्थापन किया गया है। उनका कथन है कि पूर्व में निजी प्रत्यर्थी श्री योगेश उपाध्याय को सहायक निदेशक, निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर पदस्थापित किया गया और इस कारण से अपीलार्थी को उक्त आदेश के द्वारा दिनांक 13.11.2024 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी ने कार्यमुक्त आदेश अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 3533/2024

को चुनौती दी और अधिकरण द्वारा दिनांक 06.12.2024 को स्थगन आदेश पारित कर अपीलार्थी को वहीं पर कार्यरत रखे जाने का आदेश दिया और इस प्रकार अपीलार्थी एपीओ नहीं होते हुये स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है। निजी प्रत्यर्थी श्री योगेश उपाध्याय की ओर से एवं राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि वर्तमान में श्री योगेश उपाध्याय सहायक निदेशक, निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर में कार्यरत है और ऐसे में अपीलार्थी को एपीओ मानते हुये स्थानांतरण किया गया है।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। वर्तमान में आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन किया गया है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलार्थी जिस स्थान पर पूर्व में कार्यरत था, वहां अपीलार्थी के स्थान पर श्री योगेश उपाध्याय को सहायक निदेशक, निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर पदस्थापित किया गया। ऐसे में अपीलार्थी का नया पदस्थापन किया जाना कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। आलोच्य आदेश में कोई विधि विरूद्धता प्रकट नहीं होने के कारण अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष